छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 829/2007</u>

1. **श्री अनिल गिलूरकर एवं** - *शिकायतकर्ता*
श्री सर्वजीत सेन,
15, ए-गुरूकुल परिसर,
कालीबाडी रोड़
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *अनावेदक*
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक,
रिकएशन रोड, चौबे कालोनी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 05 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के माध्यम से शिकायतकर्तागण की शिकायत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को प्राप्त हुई है । शिकायतकर्तागण ने दिनांक 16.01.2007 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर के समक्ष कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उनके द्वारा अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी प्राप्त होने के कारण यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में सुनवाई के समय शिकायतकर्तागण द्वारा दो बिन्दुओं पर भ्रामक जानकारी प्राप्त होना बताया गया है, जिसमें एक तो मा0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के स्थगन आदेश के कारण निट अवार्ड को लागू नही करने का कारण बताया गया और स्थगन आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख नही है । इस संबंध में अनावेदक की ओर से यह बताया गया कि न्यायालय के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत हुआ है वह भी इस अवार्ड के बारे में ही है और क्षेत्रीय आयुक्त से संबंधित प्रकरण में स्थगन आदेश दिया गया है, अत: प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए शिकायतकर्तागण को छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा उत्तर संशोधित करके दिया जावे, जिसमें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका की प्रति भी उन्हें दी जावे और स्थगन आदेश किस बिन्दु पर दिया गया है तथा चाही गई जानकारी से उसका संबंध है या नही उसे भी स्पष्ट किया जावे । इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र विकास भत्ता को लागू करने के

संबंध में भी दिनांक 01.10.1986 से लागू करना बताया गया है, किन्तु नाबार्ड के निर्देश दिनांक 01.01.1984 से लागू करने संबंधी थे, इस संबंध में भी शिकायतकर्तागण की शिकायत सही प्रतीत होती है, इस संबंध में नाबर्ड के निर्देश बैंक में लागू करने के बारे में जो भी वास्तविक स्थिति है, उसे स्पष्ट करते हुए संशोधित कर जानकारी प्रदाय की जावे । उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में अनावेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत पत्र पूरी तरह से स्पष्ट प्रतीत नही होता है । किन्तु प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, क्योंकि कोई दुर्भावना नही है, किन्तु भ्रामक जानकारी के कारण शिकायतकर्तागण को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत बैंक की ओर से शिकायतकर्तागण को राशि 200/- रूपये प्रत्येक की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त